

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/09/2025

रजू दिनांक: 17.01.2025

रजि0 न0 2025/14

अपीलार्थी:-

श्री रामप्रकाश सैनी पुत्र श्री शिम्मूदयाल सैनी,
निवासी मौहल्ला खोहरा, स्कीम नं0 7 अलवर,
जिला अलवर-301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर
विकास न्यास, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 27.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 05.12.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 27.01.2025 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू.आई.टी./आर.टी.आई./2024/10468 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सात बिन्दुओं के संबंध में दिनांक 05.12.2024 के द्वारा सूचना चाही गई थी। आवेदक को न्यास पत्रांक 8614-16 दिनांक 11.12.2024 के क्रम में पत्रांक 8852 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा बिन्दु संख्या 1, 2, 3 एवं 5 में नियमानुसार सूचना/प्रतियां उपलब्ध करा दी गई एवं न्यास पत्रांक 9325 एवं दिनांक 03.01.2025 के द्वारा बिन्दु संख्या 6 के संबंध में तथा न्यास पत्रांक 10370-71 दिनांक 20.01.2025 के द्वारा बिन्दु संख्या 4 एवं 7 के संबंध में सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना के क्रम में न्यास पत्रांक 8852 दिनांक 18.12.2024, 9325 दिनांक 03.01.2025 एवं 10370-71 दिनांक 20.01.2025 के द्वारा के अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)